RCMSDAOFF23041303

न्यायालय अंचल अधिकारी, सतगावां (कोडरमा)

विविध वाद संख्या–01 /2021

प्रसंगः– ललिता देवी बनाम श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव

आदेश

16.09.2021

आवेदिका ललिता देवी, पति–श्री रामअवतार चौधरी, ग्राम–समलडीह, थाना–सतगावां के द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया हैं कि मौजा–समलडीह, खाता नं0 76, प्लॉट नं0 704, रकवा–0.08 एकड जो बन्दोबस्ती पर्चा से प्राप्त है, जिसका केश नं0 06/2005–06 है। रजिस्टर 70/11 से रसीद निर्गत होता है। लेकिन ऑनलाईन पर गलती से 70/4 पर चढ गया है, जिसके कारण पंजी–II निकालने पर दो व्यक्तियों का नाम आ जाता है। इस संबंध में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया ~~गया~~ है कि पंजी–II के पृष्ठ संख्या 70/4 पर दर्ज रामस्वरूप प्रसाद यादव, पिता–बुन्दी महतो का नाम हटाने के पूर्व जमाबंदी रैयत को खास सूचना निर्गत किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग करें। दिनांक 05/10/21 को उपास्थापित करें।

16/09/2021
अंचल अधिकारी,
सतगावां।

05.10.21 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष ललिता देवी उपस्थित। द्वितीय पक्ष - श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव अनुपस्थित। एवं इस वाद से कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः नोटिस निर्गत करें। दिनांक 30.10.21 को रखें।

05/10/2021
अंचल अधिकारी
सतगावां।

30.10.21 अभिलेख [illegible] स्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।

प्रथम [illegible] द्वारा अपने पक्ष में राजस्व कागजात ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति, रसीद, नक्शा, एवं [illegible] छायाप्रति जमा किया है। (जाया)

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–समलडीह के खाता नं0–76, रकवा–08डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0–70/4 पर श्रीमती ललीता देवी, पति–रामअवतार चौधरी के नाम से दर्ज है तथा दर्ज जमाबंदी के उक्त पृष्ठ पर ही अन्य रैयत का नाम खाता नं0–18, प्लॉट नं0–659, रकवा–18.9 डी0 भूमि रामस्वरूप प्रसाद यादव, पिता–स्व0 बुन्दी महतो का नाम(दोहरी जमाबंदी) के रूप में दर्ज हो गया है।

आवेदिका (द्वारा) दोहरी जमाबंदी के रूप में दर्ज जमाबंदी रैयत रामस्वरूप प्रसाद यादव, पिता–स्व0 बुन्दी महतो का नाम हटाने का अनुरोध किया गया है, साथ ही अपने पक्ष में निम्नलिखित कागजात जमा किया गया है।

1. अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के कार्यालय द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती पर्चा वाद सं0–06/2005–06की छायाप्रति ।
2. बन्दोबस्ती भूमि का नक्शा।
3. वर्ष 2006–07 में निर्गत लगान रसीद सं0– 20760 की छायाप्रति।

उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दोहरी जमाबंदीधारक रैयत रामस्वरूप प्रसाद यादव, पिता–स्व0 बुन्दी महतो की दर्ज जमाबंदी की भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने हेतु खास सूचना निर्गत किया गया, परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया हैं उक्त स्थिति में दर्ज जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0–70/4 पर आवेदिका की जमाबंदी यथावत रखते हुए रामस्वरूप प्रसाद यादव, पिता–स्व0 बुन्दी महतो का नाम एवं खाता नं0–18, प्लॉट नं0–659, रकवा–18.9 डी0 भूमि की जमाबंदी हटाकर पंजी II के अन्य पेज में प्रविष्टि किया जा सकता है। जमाबंदीधारक श्रीमती ललीता देवी, पति–रामअवतार चौधरी, ग्राम–समलडीह की जमाबंदी पंजी II में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त परिप्रेक्ष्य के साथ अभिलेख की कार्रवाई....बंद.......की जाती है।

उक्त पारित आदेश से किसी हिस्सेदार/पक्ष को कोई आपत्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

30/10/2021
अंचल अधिकारी,
सतगावां।

30/10/2021
अंचल अधिकारी,
सतगावां।

Digitally signed by BAIDYANATH ORAON
Date: 2023.02.03 15:01:39 +05:30
Location: 192.168.158.169